



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

# पुलिस के लिए आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट और बच्चां हेतु आईपीआर जागरूकता अभियान का शुभारंभ

Posted On: 04 JAN 2017 6:47PM by PIB Delhi

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज पुलिस के लिए आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट का शुभारंभ किया। इस टूलकिट को संयुक्त रूप से आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा तैयार किया गया है। यह टूलकिट देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए खासतौर पर ट्रेडमार्क जालसाजी और कॉपीराइट चोरी जैसे आईपी अपराधों से निपटने में प्रभावी साधन सिद्ध होगी। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपराधों के विवरण के अलावा यह शिकायत दर्ज करने के लिए और जांच एवं जब्ती हेतु एक सूची भी प्रदान करती है। यह आईपी अपराधों के मामले में जब्ती और जांच करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश भी प्रदान करती है। यह टूलकिट देश भर के सभी राज्य पुलिस विभागों को प्रदान की जाएगी और यह उन्हें ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटने में मदद प्रदान करेगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तत्वाधान में आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। देश भर में आईपी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सीआईपीएएम के द्वारा कई उपाय किये गये हैं। राष्ट्रीय आईपीआर नीति आईपीआर के बारे में जागरूकता और आईपीआर का सम्मान रखने को मान्यता देती है, क्योंकि एक स्वस्थ आईपी तंत्र के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे देश का भविष्य हैं और कम आयु में ही उनके बीच आईपीआर के प्रति सम्मान का भाव जगना चाहिए, ताकि वे भविष्य में आईपीआर के जिम्मेदार उपयोगकर्ता बन सकें। सीआईपीएएम छात्रों में आईपीआर जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क एसोसिएशन के साथ सहयोग कर रहा है। इससे आईपीआर पर एक सृजनात्मक और रचनात्मक संदेश को फैलाने में मदद मिलेगी।

प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के क्रम में, सीआईपीएएम ने आंध्र प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सात बैचों और उत्तर प्रदेश में एपीओ तथा पुलिस अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। प्रशिक्षुओं ने आईपीआर पर आधारित प्रश्नोत्तरी और अन्य गतिविधियों में भागीदारी की। सीआईपीएएम ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन पर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण को संचालित करने के लिए सभी राज्य पुलिस और न्यायिक अकादमियों को भी पत्र लिखा है।

सीआईपीएएम बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी सुसाध्य बनाने में सक्रिय रूप से कार्यरत है। हाल ही में आईपीआर पर ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ दो समझौता ज्ञापन पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये। व्यापार गोपनीयता और उद्योग पर इसके प्रभाव से संबंधित विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श के लिए व्यापार गोपनीयता की सुरक्षा पर सीआईपीएएम के द्वारा भारत-अमरीका कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

सीआईपीएएम सृजनात्मक भारत; अभिनव भारत के निर्माण की अपनी यात्रा में विभिन्न हितधारकों के साथ कार्य के लिए आशान्वित है।

\*\*\*

वीके/एसएस/वाईबी-24

(Release ID: 1479971) Visitor Counter : 12

